कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
वैबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या: हि.अ./नकद पुरस्कार योजना/2016-17/संगठन 2390 **दिनांक** 2017

सेवा में,

सभी अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (अंचल),
निदेशक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा अकादमी
सभी क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय और
आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन) नकद पुरस्कार योजना के संबंध में।

संदर्भ: मुख्यालय के पत्र संख्या हि.अ./रा.भा. सम्मेलन /12/2009/1532-1732 दिनांक 04.06.2010 और पत्र संख्या हि.अ./हिंदी नकद पुरस्कार योजना/संगठन /2010/4055 दिनांक 20.08.2010

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर मुख्यालय द्वारा जारी उपर्युक्त संदर्भित पत्रों के तहत जारी परिपत्रों का अवलोकन करें।

2. "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विभागीय हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन नकद पुरस्कार योजना" संगठन के 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में लागू है। मुख्यालय के परिपत्र सं. हि.अ./रा.भा. सम्मेलन /12/2009/1532-1732 दिनांक 04.06.2010 के अनुसार इस योजना में भाग लेने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के पुरस्कारों की स्वीकृति संबंधित अंचल के अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त द्वारा प्रदान की जाती है।

3. चूंकि हाल ही में हुए कैडर रीस्ट्रक्चरिंग के पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ आंचलिक कार्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है और उनके ढॉचे में भी परिवर्तन हुआ है। अत: इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि इस योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की स्वीकृति नवगठित आंचलिक कार्यालयों के अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्तों द्वारा प्रदान की जाएगी। तद्नुसार सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कार्यालयों से संबंधित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु संबंधित आंचलिक कार्यालयों / पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा अकादमी को भेजें। तदुपरान्त संबंधित आंचलिक कार्यालय / पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा अकादमी पुरस्कृत अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची (पूर्ण विवरण सहित) मुख्यालय को भेजेंगे।

4. इसके साथ-साथ सभी संबंधित आंचलिक कार्यालयों के अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त / निदेशक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा अकादमी से अनुरोध है कि वर्ष 2016-17 हेतु नकद पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत अधिकारियों / कर्मचारियों के विवरण 31.08.2017 तक मुख्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।

(केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त के अनुमोदन से जारी)

भवदीय,

(के.एल. गोयल)

अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (प्रभारी राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

उप निदेशक (राजभाषा), दक्षिणी एवं पूर्वी अंचल को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

(एम.पी.एस. राठौरिया)

उप निदेशक (राजभाषा)

तार "केन्द्रीय निधि" नई दिल्ली
Telegram: "KENDRIYA NIDHI" New Delhi
ई-मेल/E-Mail:cpfc@alpha.nic.in
dydirepfo@rediffmail.com

दूरभाष/Telephone: 011-26185097
फैक्स/FAX : 011-26185097

88

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour, Govt. Of India)
मुख्य कार्यालय/ Head Office
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

संख्या:हि.अनु./हि.नकद पुरस्कार योजना/संगठन/2010 4055 दिनांक 20 अगस्त AUG 2010

सेवा में,

1. सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ख एवं ग क्षेत्र)
2. सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ख एवं ग क्षेत्र)
3. सभी उप निदेशक / सहायक निदेशक (राजभाषा) (ख एवं ग क्षेत्र)

विषय:- **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन) नकद पुरस्कार योजना-तदनुसार पुरस्कारों की स्वीकृति के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त योजना के पुरस्कारों की स्वीकृति हेतु कुछ कार्यालय अभी भी मुख्यालय के साथ पत्राचार कर रहे हैं तथा कुछ कार्यालय ऐसे भी हैं जो अभी भी पुरानी दर से अर्थात् रूपये 300/- एवं 400/- के हिसाब से स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं जबकि उक्त योजना के पुरस्कारों में अप्रैल 2009 से वृद्धि कर दी गई है । इसके साथ-साथ मदुरै में आयोजित 12 वें राजभाषा सम्मेलन में लिए गए निर्णयानुसार उक्त योजना के पुरस्कारों की स्वीकृति हेतु संबंधित क्षेत्र के अपर केन्द्रीय आयुक्तों को प्राधिकृत कर दिया गया है । इस संबंध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या हि.अ./4/12/संगठन/08/37668 दिनांक 17.2.2009 एवं परिपत्र संख्या हि.अ./राजभाषा सम्मेलन/12/2009 दिनांक 4.6.2010 का संदर्भ लें जो सभी कार्यालयों को परिचालित कर दिए गए हैं ।

फिर भी, संबंधित क्षेत्र के सभी कार्यालयों की जानकारी में **पुन: लाया जाता है कि इन पुरस्कारों की राशि, रूपये 300/- (ख क्षेत्र) एवं रूपये 400/- (ग क्षेत्र) के स्थान पर रूपये 1000/-(एक हजार रु.मात्र) समान रुप में निर्धारित कर दी गई है जो अप्रैल 2009 से लागू होगी तथा वर्ष 2009 -10 में किए गए कार्य के आधार पर होगी** तथा इनकी स्वीकृति संबंधित क्षेत्र के अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दी जाएगी । अत: ख एवं ग क्षेत्र के कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे **इस योजना के पुरस्कारों की स्वीकृति अपने क्षेत्र के अपर केन्द्रीय आयुक्त से प्राप्त करें** तथा स्वीकृत/पुरस्कृत किए गए कर्मचारियों की सूची रिकार्ड के लिए मुख्यालय को प्रेषित करें ।

उक्त योजना की शेष शर्तें पूर्ववत्त ही रहेंगी ।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
उप निदेशक (राजभाषा)
20/8/10

- इस योजना के अंतर्गत ख एवं ग क्षेत्रों के लिए पुरस्कार राशि क्रमश: 300/-रू. व 400/-रू. के स्थान पर 1000/-रू. (एक हजार रू. मात्र) होगी ।
- ख क्षेत्र में 75% अथवा उससे अधिक तथा ग क्षेत्र में 50% अथवा उससे अधिक कार्य करने की शर्त पूर्ववृत ही रहेगी ।
- कर्मचारी द्वारा अपनी भागीदारी का आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आलोच्य वर्ष के दौरान किए गए हिंदी कार्य के टिप्पण /आलेखन के पांच नमूने संबंधित कार्यालय के हिंदी अनुभाग को प्रस्तुत किए जाएंगे । तदुपरान्त संबंधित कर्मचारी के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उसके दावे को प्रमाणित किया जाएगा ।
- इस योजना की शेष शर्ते पूर्ववृत ही रहेंगी ।

ये आदेश **01 अप्रैल, 2009** से प्रभावी होंगे ।

(केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमादेन से जारी)

भवदीय,

(के. सी. पाण्डेय)
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त,प्रभारी (राजभाषा)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1. सभी उप निदेशक (राजभाषा)
2. सभी उप निदेशक (सतर्कता)
3. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान ।
4. सभी आंचलिक लेखा परीक्षा दल ।
5. सभी सहायक निदेशक (राजभाषा) (संलग्न सूची के अनुसार)

(राजवीर सिंह)
उप निदेशक (राजभाषा)
16.2.2009

[redacted]

दूरभाष/Telephone: 011-26185097
फैक्स/FAX 011-26185097

u02

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour, Govt. Of India)
मुख्य कार्यालय/ Head Office
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

संख्या: हि.अ./रा.भा. सम्मेलन/12/2009 1532/1737 दिनांक 4 जून JUN 2010

सेवा में,

1. सभी अपर केन्द्रीय आयुक्त, पॉलीटिकल स्टेट एवं मुख्यालय
2. निदेशक, नाटरस, नई दिल्ली
3. सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं प्रभारी अधिकारी (सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय)
4. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.से.प्र.) मुख्यालय ।

विषय:- **कर्मचारी भविष्य निधि, हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन नकद पुरस्कार योजना - 1990**
संदर्भ:- **12वें राजभाषा सम्मेलन के कार्यवृत्त का मद सं. 18 - परिचालन दिनांक 20 जनवरी 2010**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक योजना मुख्यालय के परिपत्र सं. हि.अनु./हि.अधि.सम्मे.-1/87/मद सं.12/13006-13176 दिनांक 26.11.1989 के परिपत्र द्वारा संगठन के सभी कार्यालयों में परिचालित की गई थी । प्रारंभ में यह योजना संगठन के सभी कार्यालयों में लागू की गई थी, परन्तु वर्ष 1998 से इस योजना को 'क' क्षेत्र अर्थात् हिन्दी भाषी कार्यालयों से वापस ले लिया गया था । इस योजना से संबंधित परिपत्र मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते रहे हैं । **वर्तमान में यह योजना संगठन के 'ख' व 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में लागू है ।**

उपर्युक्त योजना की शर्तों के अनुसार इसमें भाग लेने वाले पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के पुरस्कारों की स्वीकृति मुख्यालय द्वारा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के स्तर से प्रदान की जाती रही है । अब चूंकि संगठन का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा है और प्रत्येक दो राज्यों की देख रेख का नियंत्रण एक अपर केन्द्रीय आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, फलस्वरूप इस योजना के पुरस्कारों के स्वीकृति के विषय में दिनांक 14-15 दिसम्बर, 2009 को मदुरै में सम्पन्न 12वें राजभाषा सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि इस योजना के पुरस्कारों की स्वीकृति संबंधित क्षेत्र के अपर केन्द्रीय आयुक्त द्वारा दी जाए ।

जारी किया
ISSUED

..............2

तदनुसार, इस आशय का एक नोट माननीय केन्द्रीय आयुक्त महोदय को प्रस्तुत किया गया । सभी कार्यालयों की जानकारी में लाया जाता है कि माननीय केन्द्रीय आयुक्त ने इस पर विचार करते हुए अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है । इस प्रकार **केन्द्रीय आयुक्त महोदय द्वारा इस योजना के पुरस्कारों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्र के अपर केन्द्रीय आयुक्तों को प्राधिकृत (Authorized) कर दिया गया है । इस योजना की शेष शर्तें पूर्ववत् जारी परिपत्रों के अनुसार ही रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है** । ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

अत: आप सभी से अनुरोध है कि लिए गए निर्णयानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुरस्कारों की स्वीकृति संबंधित राज्य के अपर केन्द्रीय आयुक्त से प्राप्त करें तथा चयनित एवं पुरस्कृत कर्मचारियों की सूची मुख्यालय को प्रेषित करें जिससे कि इस संबंध में पूर्ण विवरण का रिकार्ड रखा जा सके ।

(केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी)

कृपया पावती भेजें ।

भवदीय,

(राजेश बंसल)
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पेंशन)
एवं प्रभारी राजभाषा
07.06/10

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु -

1. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव ।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के निजी सचिव ।
3. डा0 जगदीश नारायण, उप निदेशक (राजभाषा), पश्चिमी अंचल (मुम्बई)
4. श्री सी. एल. परमार, उप निदेशक (राजभाषा), दक्षिणी अंचल (हैदराबाद)
5. डा0 एन. डी. पन्त, उप निदेशक (राजभाषा), पूर्वी अंचल (कोलकाता)
6. सभी लेखा परीक्षा पार्टियां ।
7. सभी उप निदेशक (सतर्कता)
8. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन. डी. सी.) को संगठन की वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध सहित ।
9. सभी सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा संबंधित कार्यालय ।

(राजवीर सिंह)
उप निदेशक (राजभाषा)
03/06/10.